

**मैनुअल स्कैवेंजर के सर्वे कार्य में निकायों तथा जिलों के उपायुक्तों के द्वारा सर्वे प्रपत्र के अनुमोदन की प्रक्रिया।**

<b>1. नगर निकाय द्वारा निकाय स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजर का सर्वे।</b>	
a.	भारत सरकार के वर्ष 2013 के दिशा निर्देश तथा <b>THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013</b> के प्रावधानानुसार सर्वे का कार्य किया जाना है।
b.	सर्वे कार्य के उपरान्त विहित प्रपत्र में कुल 4 सर्वे फॉर्म यथा— <b>SF-I, II, III एवं IV</b> निकाय स्तर पर गठित सर्वे समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
c.	किसी निकाय में मैनुअल स्कैवेंजर की शून्य संख्या होने की स्थिति में भी उपयुक्त चारों सर्वे प्रपत्र शून्य प्रतिवेदन के साथ तैयार कर विविवत अनुमोदित किया जाना है।
d.	निकाय स्तर से अनुमोदित ये 4 फार्म अग्रतर कार्रवाई हेतु सम्बन्धित जिला के उपायुक्त को उपलब्ध कराया जाना है।
<b>2. जिला स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजर का सर्वे।</b>	
a.	भारत सरकार के वर्ष 2013 के दिशा निर्देश तथा <b>THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013</b> के प्रावधानानुसार सर्वे का कार्य किया जाना है।
b.	उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सर्वे समिति द्वारा सम्बन्धित निकायों से प्राप्त सर्वे प्रपत्रों (निकाय स्तर के सर्वे समिति से अनुमोदित कुल 4 सर्वे फॉर्म यथा— <b>SF-I, II, III एवं IV</b> ) का अनुमोदन किया जाना है।
c.	किसी जिले में मैनुअल स्कैवेंजर की शून्य संख्या होने की स्थिति में भी उपयुक्त चारों सर्वे प्रपत्र शून्य प्रतिवेदन के साथ तैयार कर विविवत अनुमोदित किया जाना है।
d.	जिला स्तर से अनुमोदित निकायवार ये 4 फार्म अग्रतर कार्रवाई हेतु राज्य स्तरीय सर्वे समिति के अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को संबन्धित जिलों के उपायुक्त के स्तर से उपलब्ध कराया जाना है।
<b>3. राज्य स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजर का सर्वे।</b>	
	जिलों से प्राप्त विहित प्रपत्र में अनुमोदित सर्वे फॉर्म ( <b>SF-I, II, III एवं IV</b> ) अंततः राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति के द्वारा अनुमोदित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना है।

[सुलभ प्रसंग तथा मार्गदर्शन हेतु निम्नांकित अभिलेखों की प्रति विभागीय वेबसाइट udhd.jharkhand.gov.in >> Documents >> Important Documents >> Guidelines पर अपलोड है:-](http://udhd.jharkhand.gov.in)

Link: <http://udhd.jharkhand.gov.in/Other/Guidelines.aspx>

1. भारत सरकार का वर्ष 2013 के मैनुअल सर्वेक्षण संबंधी दिशा निर्देश।
2. **THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013**
3. निकाय स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजर के सर्वेक्षण हेतु नगर स्तरीय सर्वेक्षण समिति के गठन का प्रारूप (विभागीय का० आ० 123 दिनांक-14.08.2013 )
4. जिला स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजर के सर्वेक्षण हेतु जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति के गठन का प्रारूप (विभागीय का० आ० 104 दिनांक-26.07.2013 )
5. राज्य स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजर के सर्वेक्षण हेतु राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति के गठन का प्रारूप (विभागीय अधिसूचना सं० 3633 दिनांक-07.09.2013 )

6. मैनुअल स्कैवेंजर से संबंधित विहित सर्वे प्रपत्र का फॉर्म यथा— SF-I, II, III एवं IV
  7. मैनुअल स्कैवेंजर के सर्वेक्षण में व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रपत्र।
  8. मैनुअल स्कैवेंजर के सर्वेक्षण हेतु निकायों को उपलब्ध करायी गयी राशि का आवंटनादेश।  
(आवंटनादेश 339 दिनांक— 27.02.2017 एवं 894 दिनांक—26.02.2014)
  9. सभी जिलों के उपायुक्तों एवं निकायों को मैनुअल स्कैवेंजर के सर्वेक्षण से संबंधित विहित सर्वे प्रपत्र यथा SF-I, II, III एवं IV तथा UC विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश (विभागीय पत्रांक— 4835 दिनांक—30.12.2015)।
  10. सभी जिलों के उपायुक्तों को मैनुअल स्कैवेंजरों की अनुमोदित सूची (चाहे शून्य हीं क्यों न हो) विहित सर्वे प्रपत्र यथा SF-I, II, III एवं IV में तथा UC विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश (विभागीय पत्रांक—835 दिनांक—13.02.2016)।
  11. विभाग को अब तक जिलों से जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति के अनुमोदनोपरान्त प्राप्त मैनुअल स्कैवेंजरों की अनुमोदित सूची तथा UC की स्थिति।
-